संख्या-122/2025/914(4)/सैंतीस-2-2025/001-1(41)/05

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 जुलाई, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत 02 अनावासीय पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-69.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-118/2025/914(2)/सैंतीस-2-2025/001-1(41)/05, दिनांक-01.07.2025 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर त्रुटिवश अंकित "उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0" के स्थान पर "उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0" पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-01.07.2025 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-122/2025/914(5)/सैंतीस-2-2025/001-1(41)/05, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।